अध्याय 2

विनियोजकों, वास्तुविदों, परियोजना इंजीनियरों और डिजाइनरों, भवन कर्मकारों आदि के दायित्व और कर्त्तव्य

5. विनियोजकों, कर्मचारियों और अन्यों के कर्त्तव्य और दायित्व : –

(1) ऐसे प्रत्येक नियोजक का जो भवन या अन्य सन्निर्माण से संबंधित या उसके आनुषंगिक ऐसी किन्हीं संक्रियाओं या संकर्मो को कर रहा है, जिसे यह नियम लागू होते हैं यह कर्त्तव्य होगा कि वह –

(क) इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं की पालना करे जो उससे संबंधित है ;

परन्तु यह कि इस खण्ड की अपेक्षाएं किसी भवन कर्मकार को प्रभावित नहीं करेंगी यदि और जब तक किसी कार्यस्थल में उसकी उपस्थिति उसके नियोजक के निमित किसी कार्य को करने के अनुक्रम में नहीं है और उसे उसके नियोजक द्वारा कार्य करने के लिए अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से प्राधिकृत या अनुज्ञात नहीं किया गया है ; और

(ख) इन नियमों की उन अपेक्षाओं की अनुपालन करें जो उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य, कृत्य या संक्रिया के संबंध में उससे संबंधित है ;

(2) प्रत्येक नियोजक का, जो किसी मचान का परिनिर्माण या उसमें परिवर्तन करता है, इन नियमों के उपबन्धों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालन करने का कर्तव्य होगा जिसका संबंध ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों का ध्यान रखते हुए जिसके लिए परिनिर्माण या परिवर्तन करने के समय मचान को डिजाइन किया गया था, मचान के परिनिर्माण या परिवर्तन से है ; और ऐसा नियोजक, जो किसी ऐसे संयत्र या उपस्कर का परिनिर्माण, संस्थापन कार्य का उपयोग करता है, जिसे इन नियमों का कोई उपबन्ध लागू होता है, ऐसे संयंत्र या उपस्कर का परिनिर्माण, संस्थापन, कार्य या उपयोग ऐसी रीति से करेगा,जो उन उपबन्धों की अनुपालना में हो ।

(3) जहां कोई ठेकेदार, जो ऐसी किसी संक्रिया या संकर्म का वचनबंध करता है जिसे ये नियम लागू होते हैं, सेवाओं के लिए संविदा के अधीन कोई कार्य या सेवा को करने के लिए किसी कारीगर, व्यापारी या अन्य व्यक्ति को नियुक्त करता है तो ठेकेदार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालना करे जो उक्त कारीगर, व्यापारी या अन्य व्यक्ति को प्रभावित करती है और इस प्रयोजन के लिए इन नियमों में किसी कर्मचारी के प्रति निर्देश अन्तर्गत ऐसे कारीगर, व्यापारी या अन्य व्यक्ति के प्रति निर्देश होगा और ठेकेदार उसका नियोजक समझा जाएगा ।

(4) प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्त्तव्य होगाकि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालना करें जो उसके द्वारा किसी कृत्य को करने या उससे विरत रहने से और इन नियमों को क्रियांवित करने में सहयोग करने से संबंधित है ।

(5) प्रत्येक नियोजक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह किसी कर्मचारी या कोई ऐसी बात करने के लिए अनुज्ञात न करें जो राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित मानक सुरक्षित प्रचालन व्यवहारों के सामान्यतः स्वीकृत सिद्वान्तों के अनुसार न हो ।

(6) कोई कर्मचारी, कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित मानक सुरक्षा प्रचालन व्यवहारों के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार नहीं हैं ।

(7) किसी भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित कोई व्यक्ति जानबूझ कर ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे उसे या किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचे ।

(8) प्रत्येक नियोजक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह किसी भवन कर्मकार द्वारा प्रयोग करने के लिए ऐसे उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, उत्थापक युक्ति, परिवहन उपस्कर, यान या किसी अन्य युक्ति या उपस्कर के उपयोग को अनुज्ञात न करें जो इन नियमों में दिये गये उपबन्धों के अनुरूप न हो ।

(9) नियोजक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह शौचालयों, मूत्रालयों धोवन सुविधाओं और कैंटीन को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में बनाए रखें । कैंटीन ऐसे स्थान पर होगा जो शौचालयों और मूत्रालयों और प्रदूषित वातावरण से दूर हों और साथ ही साथ भवन कर्मकारों की सहज पहुंच में हो ।

(10) नियोजक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इन नियमों के अनुसार किसी अवधि के लिए मजदूरो के संदाय के लिए उसके द्वारा नियत और अधिसूचित तारीखों का पालन करें और ऐसी तारीखों और ऐसी अवधि में कोई परिवर्तन भवन कर्मकारों और निरीक्षक को सूचना के बिना प्रभावी नहीं किया जाएगा । नियोजक इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट यथा समय और उसके द्वारा अधिसूचित स्थान और समय पर मजदूरों के संदाय सुनिश्चित करेगा । जहां कोई नियोजक ठेकेदार हों वहां वह यह सुनिश्चित करेगा कि भवन कर्मकारों को मजदूरी का संदाय स्थापन के नियोजक या परिसर के स्वामी के जिससे उसने ठेके पर कार्य प्राप्त किया है, प्रतिनिधि की उपस्थित में किया जाता है, और ऐसे प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मजदूरी के संदाय के साक्ष्य के प्रतीक स्वरूप प्राप्त करेगा ।

(11) नियोजक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा लिए गए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में प्रयुक्त उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, मिट्टी हटाने वाले उपस्कर, परिवहन उपस्कर या यान इन नियमों के अधीन यथा उपबन्धित ऐसे उपस्कर के परीक्षण, परीक्षा और जांच संबंधित अपेक्षाओं के अनुरूप हों । सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी

नियोजक या परिसर के स्वामी के जिससे उसने ठेके पर कार्य प्राप्त किया है, प्रतिनिधि की उपस्थित में किया जाता है, और ऐसे प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मजदूरी के संदाय के साक्ष्य के प्रतीक स्वरूप प्राप्त करेगा ।

(11) नियोजक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा लिए गए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में प्रयुक्त उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, मिट्टी हटाने वाले उपस्कर, परिवहन उपस्कर या यान इन नियमों के अधीन यथा उपबन्धित ऐसे उपस्कर के परीक्षण, परीक्षा और जांच संबंधित अपेक्षाओं के अनुरूप हों । सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इन नियमों में दी गई उससे संबंधित अपेक्षाओं की अनुपालना करें ।

6. **वास्तुविदों, परियोजना इंजीनियरों और डिजाइनों के उत्तरदायित्व** : —

(1) किसी परियोजना या उसके भाग या किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य की डिजाइन के लिए उत्तरदायी वास्तुविद, परियोजना इंजीनियर या डिजाइनर का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि योजना प्रक्रम पर ऐसे भवन कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बातों पर सम्यक्रूप से ध्यान दिया जाता है जो यथास्थिति, ऐसी परियोजनाओं और संरचनाओं के परिनिर्माण, प्रचालन और निष्पादन में नियोजित है ।

(2) परियोजना में अंतर्ग्रस्ति वास्तुविद, परियोजना इंजीनियर और अन्य वृत्तिकों द्वारा इस बात की पर्याप्त सतर्कता बरती जाएगी कि डिजाइन में ऐसी कोई बात सम्मिलित न की जाए जिसमें ऐसी खतरनाक संरचना या अन्य प्रक्रिया या सामग्री का प्रयोग अन्तर्वतिल हो, जो, यथास्थिति परिनिर्माण, प्रचालन और निष्पादन के अनुक्रम के दौरान भवन कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय हो ।

(3) भवनों, संरचनाओं या अन्य सन्निर्माण परियोजनाओं की डिजाइन में अन्तर्वतिल वृत्तिकों का यह भी कर्त्तव्य होगा कि संरचनाओं और भवनों के अनुरक्षण और रखरखाव से सहबद्ध सुरक्षा संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जहां अनुरक्षण और रखरखाव विशेष जोखिम वाला है ।

7. **राज्य सरकार और बोर्ड की सेवा में व्यक्तियों का उत्तरदायित्व** :—

किसी राज्य की सरकार या किसी बोर्ड की सेवा में लगे प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का निष्पादन कराने में समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना करें ।

8. **कर्मकारों के कर्त्तव्य और दायित्व** :— (1) प्रत्येक भवन कर्मकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालना करे जो उससे संबंधित हैं और इन नियमों की अपेक्षाओं के क्रियान्वयन के लिए और सहयोग करे और यदि वह परिवहन उपस्कर या अन्य उपस्करों से संबंधित उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, उत्थापक युक्ति में कोई त्रुटि पाता है तो

बिना अनुचित विलम्ब के ऐसी त्रुटियों की रिर्पोट उसके नियोजक या फोरमैन या प्राधिकारवान किसी अन्य व्यक्ति को करे ।

(2) कोई भवन कर्मकार, जब तक कि सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो या आवश्यकता की दशा में के सिवाय, ऐसी किसी बाड़, मार्गिका, गियर, नसैनी, हैच छादन, जीवन रक्षक साधित्र, प्रकाश या कोई भी अन्य वस्तुएँ जिनका उपबन्ध किया जाना अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित हो, नहीं हटाएगा या उनसे छेड़छाड़ नहीं करेगा । यदि पूर्वोक्त किसी वस्तु ऐसी अवधि की समाप्ति पर जिसके दौरान उसका हटाया जाना आवश्यक था, उक्त कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावर्तित की जाएगी ।

(3) प्रत्येक भवन कर्मकार, प्रवेश के केवल ऐसे साधनों का उपयोग करेगा जिनका उपबन्ध इन नियमों के अनुसार किया गया है और कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे प्रवेश के साधनों से भिन्न प्रवेश के साधनों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत या आदेशित नहीं करेगा ।

(4) भवन कर्मकार का यह कर्तव्य होगा कि वह उसके कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नियोजक द्वारा उपबन्धित शौचालय, मूत्रालय, धोवन बिन्दु, कैन्टीन और अन्य सुविधाओं को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थितियों में रखें ।

9. **छूट** :– मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, लिखित में आदेश द्वारा और ऐसी शर्तो के अधीन और ऐसी अवधि के लिए जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए, इन नियमों की सभी या किसी अपेक्षा से निम्नलिखित को छूट दे सकेगी –

(क) कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, यदि मुख्य निरीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा भवन कार्य ऐसे कर्मकारों तक सीमित है जहां इन नियमों में उपबन्धित उपायों का किया जाना सुविधाकारक नहीं है या

(ख) कोई साधित्र, गियर, उपस्कर, यान या अन्य युक्ति यदि मुख्य निरीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे साधित्र, गियर, उपस्कर, यान या अन्य युक्ति की अपेक्षाएं प्रयोग के लिए आवश्यक नहीं है या उसके बदले में समान रूप से प्रभावी उपाय कर लिए गए है :–

परन्तु मुख्य निरीक्षक इस नियम के अधीन तब तक छूट नहीं देगा जब तक कि यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी छूट, भवन कर्मकारों की सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी ।